रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1998/चैत्र 5, 1920
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1998/CHAITRA 5, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1998

सा॰का॰नि॰ 147(अ):—दिल्ली विकास (विविध) नियमावली, 1959 के नियम 3 के उपनियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खंड 57 (1957 का 61) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपनिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः**—(1) ये विनियमन दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपनिदेशक भर्ती विनियम, 1998 कहलाएंगे।

(2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमानः**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उनसे संबंधित वेतनमान इन विनियमों से अनुबंधित अनुसूची के कॉलम 2 से 6 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य योग्यताएं** : उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं. 2 से 15 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यता**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसका पति/पत्नी जीवित हो किंतु उसने किसी व्यक्ति से विवाह का अनुबंध किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पक्ष के विवाह के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह उस व्यक्ति पर इस विनियम को लागू न करने की छूट दे सकती है।

5. **ढील देने की शक्ति :** जहां अध्यक्ष का विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह ऐसा करने का लिखित रूप में कारण देते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है।

6. **अपवाद :** इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु–सीमा में ढील और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप-निदेशक के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	:	उप निदेशक
2.	पदों की संख्या	:	41* * (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ए"
4.	वेतनमान	:	3000–100–3500–125–4500/– रु. (पूर्व परिवर्तित)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	(क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	:	लागू नहीं
	(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति के उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ?	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	:	2 वर्ष
10.	क्या भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा है और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	:	(1) 75% पद पदोन्नति द्वारा और यदि ऐसा नहीं है, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा। (2) 25% पद प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है/किया जाना है।	:	पदोन्नति : 4 : 1 के अनुपात में, सहायक निदेशकों/सहायक बंदोबस्त अधिकारियों और निजी सचिवों के कैडरों से की जाएगी। दूसरे शब्दों में, उप-निदेशकों के 5 पदोन्नतीय पदों में से 4 पद सहायक निदेशकों और सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों के लिए संयुक्त रूप से उपलब्ध रहेंगे और एक पद निजी सचिवों के लिए रहेगा। पदोन्नति के लिए फीडर कैडर में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक होगी। प्रतिनियुक्ति राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में जो कम से कम छह वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन कैसा है ?	:	ग्रुप "ए" डी.पी.सी.
13.	बचाव	:	ये विनियम अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को, केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए गए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे ।
14.	अयोग्यताएं	:	कोई भी व्यक्ति, जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह किया है या दूसरे विवाह के लिए समझौता किया हो ।
15.	छूट का अधिकार	:	जब अध्यक्ष (चेयरमैन) की राय हो तथा वे आवश्यक समझें तो वे आदेशानुसार, कारण-सहित, लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद हेतु विनियमों में छूट दे सकते हैं ।

[सं०एफ-7(83)95/पी०बी० I]

विश्व मोहन बंसल,
आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1998

G.S.R. 147(E).—In exercise of the the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule (4) of rule 3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority, hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following Regulations relating to the method of recruitment to the post of Dy. Director in the Delhi Development Authority namely :—

1. **Short title and commencement:**—(1) These Regulations may be called the Delhi Development Authority, Dy. Director Recruitment Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, Classification and scale of pay**:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto be as specified in Columns 2 to 6 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications**:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column Nos. 2 to 15 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:**—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.,

shall be eligible for the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these Regulations.

5. **Power to relax.**—Where the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall effect reservations, relaxation of age limit or other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of post	:	Deputy Director
2. No. of posts	:	*41 *subject to variation dependent on work load.
3. Classification	:	Group "A".
4. Scale of pay	:	Rs. 3000-100-3500-125-4500 (Pre-revised).
5. Whether selection post or non-selection post.	:	Selection.
6. (a) Age limit for direct recruitment	:	Not applicable.
(b)Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable.
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	:	2 Years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	(i) 75% of the posts by promotion failing which by deputation. (ii) 25% of the posts by deputation.
11. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	Promotion will be made from the cadres of Asstt. Directors/ Asstt. settlement Officers and Private Secretaries in the ratio of 4:1. In other words out of 5 promotional posts of D.D., four will be available to A.D. 's and A.S.O.'s taken together and one to Private Secretaries. A minimum of five years regular service in the feeder cadre would be necessary for promotion. **Deputation** From State Civil Service Officers with at least six years of service.
12.If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'A' DPC.
13. Saving.	:	Nothing in these regulations shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14. Disqualification.	:	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

15. Power to relax. When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

[No.F. 7 (83)95/PB-I]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

(ii) **Transfer on Deputation :** Officers belonging to Central/State Govt. holding analogous post or officers with five years service in the scale of Rs. 10000—15200.

12. If DPC exists, what is its composition : Sr. Level DPC for Group 'A' Officer

1. Principal Commissioner	—Chairman
2. Chief Vigilance Officer	—Member
3. Commissioner (P)	—Member Secretary
4. Chief Accounts Officer	—Member
5. Head of the Department	—Member to be co-opted
6. Representative of SC/ST	—to be nominated by VC

[F. No. F. 7(17)/2003/PB-I/DDA]

V. M. BANSAL, Sr. Commr.-cum-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 7(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र में 25 मार्च, 1998 को प्रकाशित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उप-निदेशक के पद के भर्ती विनियमों में संशोधन करता है, जो निम्नानुसार हैं :-

उप निदेशक	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
(1)	(2)	(3)
कॉलम नं. 4 वेतनमान	3000-100-3500-125-4500 रुपये (संशोधनपूर्व)	10,000-325-15,200 रुपये
कॉलम नं. 11 यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से होती है, तो ग्रेड जिससे पदोन्नति की जानी है ।	**प्रतिनियुक्ति :** राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से जो कम से कम छह वर्ष की सेवा रखते हों ।	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी, जो सदृश पद पर कार्यरत हों अथवा ऐसे अधिकारी जिनकी 8000—13,500 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा हो अथवा ऐसे अधिकारी जिनकी 6500—10,500 रुपये के वेतनमान में आठ वर्ष की सेवा हो ।

[फा. सं. एफ. 7(17)/2003/का.शा.-I/डीडीए]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2008

G.S.R. 7(E).—In partial modification of Notification published in the Extraordinary Gazette of India on 25th March, 1998, DDA hereby make amendments in the Recruitment Regulations for the post of Deputy Director, which are given as under :—

Deputy Director	Existing Provision	Proposed Amendment
(1)	(2)	(3)
Column No. 4 Scale of Pay	Rs. 3000-100-3500-125-4500 (Pre-revised)	Rs. 10000-325-15200
Column No. 11 In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grade from which promotion/transfer/deputation is to be made.	**Deputation :** From State Civil Service Officers with atleast six years of service.	**Deputation :** Officers belonging to Central/State Governments holding analogous post or officers with five years service in the scale of Rs. 8000—13500 or officers with eight years service in the scale of Rs. 6500—10500

[F. No. F. 7(17)/2003/PB-I/DDA]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.